



प्रेस नोट

थाना फीलखाना कानपुर नगर

श्रीमान डीआईजी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी कोतवाली महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व निर्देशन में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 08/2021 धारा 457/380 भादवि में अभियुक्तगण द्वारा सोने के जेवरात चोरी कर लिये गये थे जो उच्चाधिकारीगणों के निर्देशन में अभियोग से सम्बन्धित माल व मुल्जिमान की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु एक कुशल टीम का गठन किया गया जिसके क्रम में अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी व सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस टीम के सहयोग से आज दिनांक 21.03.2021 को चोरी किये गये मय माल एवं मुल्जिमान के गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उक्त चोरी एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गयी जिसके तहत अभियुक्त राजेश अली तथा शुभेन्दू द्वारा दुकान के मालिक दिनेश पाल जिसके यहाँ चोरी की गयी का विश्वास जीतकर दिनेश पाल के यहाँ अभियुक्त शुभेन्दू को घटना से करीब 04 माह पूर्व काम पर लगाया गया था। योजना के तहत अभियुक्त तपन जाना व महबूब जिला मेदनीपुर पश्चिम बंगाल से चलकर कानपुर नगर आये सुतरखाना थाना हर्षवंसमोहाल के होटल में रुके तथा दिनांक 02.03.2021 की रात्रि को उक्त दिनेश पाल के यहाँ चोरी के घटना को अंजाम दिया तथा घटना के बाद उक्त दोनों अभियुक्त चोरी के जेवरात लेकर आगरा गये जहाँ अभियुक्त शेख सलीम के यहाँ उक्त जेवरात को पिघलाया गया तथा उक्त घटना के सम्बन्ध में सारी सूचनाये अभियुक्तगणों को अभियुक्त शुभेन्दू द्वारा दिया जाता रहा। आज दिनांक 21.03.2021 को उक्त सारे अभियुक्त बरामद किये गये स्कोडा गाड़ी से कहीं भागने की फिराक में थे जो गिरफ्तार किये गये। अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।



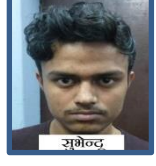
तपन



महबूब



राजेश



शुभेन्दू



सलीम

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. तपन जाना पुत्र निर्मल जाना निवासी निवेदिता पल्ली थाना कोतवाली मेदनीपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल)।
2. महबूब हसन पुत्र मुशेहार रहमान निवासी भरतपुर थाना दासपुर जिला मेदनीपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल)।
3. राजेश अली पुत्र अलाउद्दीन अली निवासी भरतपुर थाना दासपुर जिला मेदनीपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल)।
4. शुभेन्दू संकी पुत्र निमाय संकी निवासी मोयल बोंदीपुर थाना खानाकुल आरमबाग जिला हुगली (पश्चिम बंगाल)।
5. शेख सलीम पुत्र शेख अब्दुल हकीम निवासी श्रीराम नगर थाना दासपुर मेदनीपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम (पश्चिम बंगाल)।

बरामद माल का विवरण-

1. सोना करीब 50 ग्राम
2. एक लाख पचास हजार रुपया नगद
3. मोबाइल - 07 अदद
4. एक कार स्कोडा नं0 MH04 FA 5974 रंग काला
5. एक अदद आलानकब लोहे का पाइप
6. एक अदद स्कू ड्राइवर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 निशा यादव थाना फीलखाना कानपुर नगर।
2. उ0नि0 सुरेश कुमार पटेल थाना फीलखाना कानपुर नगर।
3. हे0का0 1839 शिववीर सिंह - सर्विलांस टीम
4. का0 3485 शिवकुमार - सर्विलांस टीम
5. का0 5049 अजीत थाना फीलखाना कानपुर नगर।
6. का0 326 मोहित थाना फीलखाना कानपुर नगर।